प्रेषक,

मुश्ताक अहमद,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक : 23 अप्रैल, 2019**

विषय:- अर्जुन सहायक पुनरीक्षित परियोजना की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-10/परियोजना/कैम्प/बजट, दिनांक 09.04.2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अर्जुन सहायक पुनरीक्षित परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-94 के लेखाशीर्षक 4700 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 74578.68 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 1,86,00,00,000.00 (रूपये एक अरब छियासी करोड़ मात्र) परियोजना के कार्यों पर व्यय वहन हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत स्वीकृति परिव्यय के अन्तर्गत ही निर्गत की जाएगी ।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा ।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल स्वीकृत कार्य पर ही किया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए इसका समस्त उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई/संबंधित अधिकारियों का होगा ।

(4) यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशियों का प्रदेशन (एलाटमेन्ट) किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है । व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए व्यय करने से पूर्व कार्य के विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए ।

(5) निर्माण कार्यों का व्यय करने के पूर्व आगणनों /पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाएगा तथा अवमुक्त धनराशि का व्यय संबंधित परियोजना की अनुमोदित लागत तक ही सीमित रखा जाएगा, अनुमोदित लागत के ऊपर धनराशि का व्यय करने से पूर्व शासन की अनुमति अनिवार्यत: प्राप्त की जाएगी ।

(6) अनुदान के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किए गए व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।

(7) वित्त विभाग के सी0सी0एल0 संबंधी आदेशों को संज्ञान में लेते हुए अवमुक्त धनराशि के व्यय का माहवार कार्यक्रम निर्धारित कर लिया जाए, जिसमें यथा सम्भव समानुपातिक आधार पर व्यय की व्यवस्था हो । तदनुसार व्यय सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी अनुश्रवण किया जाये । परियोजनाओं की

--2--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

लागत में टाईम ओवर रन /कास्ट ओवर रन विषयक शासनादेश संख्या-बी-1-2658/दस-2000, दिनांक 10 जुलाई 2002 में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

(8) बी0एम0 प्रपत्र-8 पर नियमित रूप से व्यय विवरण की सूचना शासन में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 व सिंचाई अनुभाग-9 को प्रतिमाह उपलब्ध कराई जाये ।

(9) उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-88 के अनुसार नियंत्रक अधिकारी/विभागाध्यक्ष इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्रधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाए । इसलिए नियंत्रक अधिकारी तथा विभागाध्यक्ष के स्तर पर भी वित्तीय स्वीकृतियों के समक्ष व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये और यदि किसी विनियोग की प्राथमिक इकाई के अधीन आनुपातिक आधार पर व्यय में किसी बड़े अन्तर होने की सम्भावना मालूम पड़े, तो उसे तत्काल शासन/वित्त विभाग के संज्ञान में लाया जाये ।

(10) योजना के अन्तर्गत विगत वर्षों में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति भारत सरकार से करायी जानी है, उनके सम्बन्ध में समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए व्यय की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करें यह भी सुनिश्चित किया जाए कि भारत सरकार को व्यय के आडिटेड लेखों के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र के साथ प्रतिपूर्ति दावे समय से प्रस्तुत किय जाएं, ताकि इसके अभाव में प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान में कठिनाई/विलम्ब न हो ।

(11) शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है, अत: व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जाये ।

(12) उक्त धनराशि को कोषागार से एकमुश्त न आहरित कर फेजिंग के अनुसार समानुपातिक किश्तों में कार्यों की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय किया जाएगा तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पीएलए/डिपाजिट खाते में न रखे जाएं ।

(13) उक्त धनराशि का व्यय, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 कार्यालय संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22-03-2019 में उल्लिखित दिशा निर्देशों एवं शर्तों के अधीन ही किया जायेगा तथा बजट मैनुअल में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्यों पर ही व्यय की जायेगी। कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे भी विभागाध्यक्ष अपने स्तर से सुनिश्चित कर लेंगे ।

(14) वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 के अनुसार निर्माण लागत में से लागत का 5 प्रतिशत घटाने के बाद उपलब्ध लागत पर 12.50 प्रतिशत धनराशि जो इसी शासनादेश के संलग्नक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा ।

(15) 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जाएगा।

(16) कार्य की विशिष्टियां, मानक, गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभाग की होगी तथा कार्य की फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो तथा समय से कार्य पूरा कराया जाएगा ।

(17) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय शासनादेश में निहित प्राविधानों का अनुपालन करते हुए समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाएगा ।

(18) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाएगा ।

(19) पूर्व में स्वीकृत शासनादेशों में लगायी गयी शर्तें यथावत रहेंगी ।

(20) प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष/मुख्य अभियन्ता, अर्जुन सहायक परियोजना प्रत्येक माह व्यय किए जाने वाली धनराशि का बार चार्ट शासन को उपलब्ध कराएंगे।

--3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(21) शासनादेश संख्या-1655/16-27-सिं-9-137एसएवी/13, दिनांक 27-06-2016 में लगायी गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(22) विभाग केन्द्रीय जल आयोग व नाबार्ड की शर्तों तथा मूल प्रायोजना में निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर लेंगे। नाबार्ड से स्वीकृत की प्रत्याशा में प्रश्नगत प्रकरण में अवमुक्त की जा रही धनराशि का अन्य मामलों में दृष्टांत नहीं माना जायेगा।

(23) परियोजना हेतु धनराशि इस शर्त के साथ अवमुक्त की जा रही है कि मुख्य अभियन्ता (परियोजना बेतवा) इस आशय का प्रमाण पत्र देंगे कि जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है उस कार्य पर ही धनराशि व्यय की जायेगी तथा जनमानस को परियोजना का लाभ मिलना प्रारम्भ हो जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) पूंजीलेखा लेखाशीर्षक-4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-21-अर्जुन सहायक परियोजना (वाणिज्यिक)-051-निर्माण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0101-त्वरितसिंचाई लाभ परियोजना एवं जल संसाधन कार्यक्रम के अन्तर्गत नहरों के सम्बद्ध कार्य (एलटीआईएफ)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जाएगा ।

3- यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ई-8-1060/दस-2019, दिनांक 23 अप्रैल, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं ।

भवदीय

मुश्ताक अहमद

विशेष सचिव।

संख्या-60/2019/982(1)/19-27-सिं-9-57एसएवी/09 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
(2) महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ ।
(4) प्रमुख अभियन्ता(परियोजना), सिंचाई एंव जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
(5) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
(6) मुख्य अभियन्ता(परियोजना बेतवा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, झांसी।
(7) मुख्य अभियन्ता(बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 ।
(9) गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

राम नारायण त्रिपाठी

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।